आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
29/10/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 60/2006** **पंचदेव प्रसाद बनाम सरकार एवं अन्य** **आदेश** वर्त्तमान अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 299 दिनांक 23/11/2006 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता ने प्रश्नगत अनुज्ञा रद्द करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि प्रश्नगत आदेश तथ्यों के सही विवेचन और विधि की समुचित व्याख्या पर आधारित नहीं है। यहाँ तक कि उसके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा साक्ष्यों पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है तथा पूर्णतः अस्पष्ट तथा मनमाने आदेश के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अपना पक्ष और भी स्पष्ट करते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि उसके दुकान के संबंध में ऐसे गवाहों के साक्ष्य लिए गए हैं जो उसकी दुकान से संबद्ध ही नहीं थे और दुकान बंद होने के संबंध में उसके कथन को अनुज्ञापन पदाधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया है। प्रतिवादी सरकार का पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अनुशीलन किया। अनुशीलन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अनियमित वितरण संबंधी लगाये गए आरोपों के साक्ष्य वैसे गवाहों से लिए गए हैं, जो अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली दुकान से संबद्ध ही नहीं थे। उदाहरण के लिए मो0 मुरूद्दीन, रसीद मियां, सनउल्लाह मियां, जलील मियां आदि व्यक्तियों के साक्ष्य विधि-मान्य नहीं है, क्योंकि वे प्रश्नगत प्रतिष्ठान से संबद्ध उपभोक्ता नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश गंभीर वैधानिक त्रुटि से अच्छादित है। फलतः इसे निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकार किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 29/10/12 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। 29/10/12 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	